न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 58 / 2023 **दायरा दिनांक : 28.02.2023**

उनवान

अमरलाल आत्मज श्री नन्दा, जाति भील, अस्वस्थ मस्तिष्क जरिये नेक्स्ट फ्रेंड नरेश पुत्र अमरलाल, जाति भील, निवासी झालावाड़ .... अपीलांट

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये कलेक्टर, झालावाड़, जिला झालावाड़
2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झालरापाटन, जिला झालावाड़ .... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री सूर्य प्रकाश जैथलिया अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री संदीप सक्सैना पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक : 27.10.2023**

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के प्रकरण संख्या–433 / दावा / 13 निर्णय व डिक्री दिनांक 16.01.2023 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92–ए, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर कथन किया कि ग्राम गोपालपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ के माल में हस्व जमाबन्दी संवत 2033 लगायत 2036 आराजी खसरा नम्बर 167 रकबा 3 बीघा बारानी सोयम तथा खसरा नम्बर 168 रकबा 10 बिस्वा बारानी सोयम तथा खसरा नम्बर 175 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा बारानी सोयम तथा खसरा नम्बर 188 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा बारानी सोयम कुल 4 किता कुल रकबा 6 बीघा 09 बिस्वा कुल लगानी 6 रूपये 45 पैसे वादी के पिता नन्दा वल्द बाला, जाति भील, निवासी झालावाड़ के खाते दर्ज रही है। उक्त खसरा नम्बरान का बन्दोबस्त होने पर हाल खसरा नम्बर 90 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा बना। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16.01.2023 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

3 अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय व डिक्री जैर अपील न्याय एवं संचिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आलोच्य निर्णय व डिक्री जैर अपील पत्रावली पर उपलब्ध तात्विक तथ्यों व साक्ष्य को सर्वथा नजरअंदाज कर कानूनी स्थिति के पूर्णतया विपरीत आर्बीट्रेटरी रूप से पारित की गई है, जो पूर्णतया गलत गैरकानूनी व त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष यह भली भांति साबित था कि वाद विषयक आराजी अपीलांट के पिता नन्दा आत्मज बाला की गैरखातेदारी व कब्जे काश्त में दर्ज रही है। उक्त आराजी पर अपीलांट का निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है, उक्त आराजी से अपीलांट के पिता नन्दा व उनकी मृत्यु पश्चात अपीलांट को कभी भी बेदखल नहीं किया गया है। उक्त भूमि पूर्णतया गलत व गैरकानूनी रूप से अपीलांट के पिता नन्दा की गैरखातेदारी से हटाकर सिवायचक दर्ज की गई है जिसके कारण उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में किये गये गलत इन्द्राज को दुरस्त किया जाकर अपीलांट / वादी उक्त भूमि का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है। किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तात्विक तथ्यों को नजरअंदाज कर तनकी संख्या 1 को पूर्णतया गलत व गैरकानूनी रूप से विवेचित व निर्णित करने तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष यह तथ्य

भी भली भांति स्पष्ट था कि अपीलांट के पिता अनुसूचित जाति के व्यक्ति है। जिस झूठे विक्रय के आधार पर धारा 175–177 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत उक्त भूमि सिवायचक दर्ज की गई है वह विक्रय पत्र धारा 42 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों व धारा 23 संविदा अधिनियम के तहत प्रारंभ से ही शून्य व निष्प्रभावी है। समान तथ्यों के प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा भी गजानन्द बनाम राधेश्याम अपील संख्या 80/2010 में ऐसे विक्रय पत्र को प्रारंभ से ही अवैधानिक व निष्प्रभावी व शून्य माना है जिसके कारण उक्त प्रारंभ से ही शून्य विक्रय के आधार पर उक्त भूमि के संदर्भ मे धारा 177 की कार्यवाही और उक्त भूमि का दर्ज किया गया सिवायचक इन्द्राज गलत गैरकानूनी एवं प्रारंभ से ही शून्य है। जिसका कोई भी कानूनी महत्व नहीं है और उक्त नियमित वाद एवं किसी संपार्श्विक प्रक्रिया में भी ऐसे शून्य व गैरकानूनी इन्द्राज को दरकिनार कर उक्त भूमि के संदर्भ में वादी के पक्ष में खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जा सकती है, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त कानूनी स्थिति व तात्विक तथ्यों को सर्वथा नजरअंदाज कर तनकी संख्या 1 को गलत रूप से निर्णित करने व वादी के वाद को खारिज करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे व तहसील रिपोर्ट में वादग्रस्त भूमि के वादी के पिता नन्दा आत्मज बाला की गैरखातेदारी में दर्ज होने, उक्त भूमि पर अपीलांट के पिता नन्दा व उनकी मृत्यु पश्चात अपीलांट का निरंतर कब्जा काश्त होने से इन्कार नहीं किया गया, जिसके कारण वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त पूर्णतया प्रमाणित है किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष के संदर्भ में भी वादी का वाद डिक्री ना कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी. पी.सी. पेश किया था किन्तु अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्रों को निर्णित किये बिना ही निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 2 व 3 बिना किसी विवेचन के सरसरी तौर पर निर्णित किये है जिसके कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री, विधिक प्रक्रिया के पूर्णतया विपरीत नॉन स्पिकिंग निर्णय व डिक्री की श्रेणी में आने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट अनुसूचित जनजाति का गरीब व्यक्ति है। उक्त भूमि ही अपीलांट की आजीविका का एक मात्र साधन है। कानून की मंशा अनुसूचित जनजाति के गरीब व्यक्ति को संरक्षण देने की रही है, और इसी आशय से कानूनी प्रावधान भी प्रावाधित किये गये है, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्ध निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रुटि की है। इस अपील से पूर्व अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष कोई भी अपील व रिवीजन पेश नहीं की गई है।

4 अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जैर अपील दिनाक 16.01.2023 निरस्त फरमाया जावे और वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा वादी को वाद विषयक भूमि का खातेदार घोषित किया जावे एवं वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की निषेधाज्ञा की डिक्री भी पारित फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण वाद विषयक आराजी से वादी को बेदखल ना करें एवं उसके कब्जे काश्त मदाखलत व मजाहमत ना करें व ना अन्य किसी से करावे।

5 अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

6 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि अपीलांट/दावाकर्ता– जाति से "भील" होकर राजस्थान में "अनुसूचित" जनजाति (एस.टी.) की श्रेणी में दर्ज – गैर खातेदार काश्तकार रहा है।

7 अपीलान्ट/दावाकर्ता के पिता (स्व. नन्दा भील) का नाम जमाबंदी से हटाकर विवादित जमीन को सिवाय चक दर्ज किया जाना प्रारम्भ से "शून्य" था। जिस तथाकथित दस्तावेज के

हवाले से "अवैध बेचान" मानकर धारा 175, 177 की कार्यवाही की गई। उक्त दस्तावेज धारा 42 ब राजस्थान टेनेन्सी एक्ट, 1955 के प्रावधानों में "बेचान" ही नहीं था। शून्य दस्तावेज के आधार पर जमाबंदी से नाम हटाया जाना "गैर विधिक" रहा है।

8 इस बात की पुष्टि प्रत्यक्ष तौर साबित है– क्योंकि कभी भी उक्त "क्रेता" अमरा का नाम सरकार प्रदत्त/आवंटित भूमि बाबत जमाबंदी में दर्ज नहीं किया/कराया गया।

9 "क्रेता" द्वारा ना कभी वास्तविक कब्जा लिया गया ना ही नाम दर्ज की कार्यवाही की गई। उक्त बेचान निरस्त समझा गया।

10 "ASSIGNED LAND CAN ONLY BE SOLD SC TO SC OR ST TO ST" क्रेता अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं था।

11 निर्विवादित रूप से साबिक खसरा नं 90, जिसके वर्तमान खसरा नं. 167, 168, 175, 188 कुल किता 4 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम गोपालपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड खातेदारी दर्ज रहे एवं नन्दा जी मृत्यु पर्यन्त एवं तत्पश्चात वादी निरन्तर, निर्बाध, निर्विरोध, मौरूसी हकों से काबिज काश्त रहा है।

12 सरकार द्वारा कभी भी धारा 180–182 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट 1955 के प्रावधानों में "बेदखली" की कार्यवाही पिछले 47 वर्षो में नहीं की गई उससे भी प्रार्थी आवेदक का दावा स्वीकार किये जाने योग्य है सरकारी योजनाएं विशेषक जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण के लिए है, कानूनी अडचने डालकर मूल प्रावधानों की अस्वीकारोक्ति गैर कानूनी एवं हितों के विपरीत है। अपीलान्ट/दावाकर्ता एवं उसके परिवार का जीवन उक्त जमीन से जुडा है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सामान्य कानून से बढ़कर हैं। "काबिज काश्त" प्रमाणित रहा है एवं माननीय तहसीलदार झालरापाटन की रिपोर्ट दिनांक 27.07.2022 में खातेदारी एवं कब्जा काश्त का स्पष्ट उल्लेख है (हिस्सा) शेष FISCAL ENTRY मात्र जो "न्याय शाखा" के नाम आवंटन दिखाकर बताई गई है उन्होंने 2013 से 2023 में दावा निस्तारण तक या इससे पूर्व कभी भी कोई कदम नहीं उठाया जिससे अपीलान्ट/दावाकर्ता का कब्जा एवं स्वामित्व निर्विवादित प्रमाणित है।

13 अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.01.2023 – उक्त निर्णय अवलोकन मात्र से अनुचित, गैर–विधिक प्रमाणित तथ्यों के विपरीत होकर अस्वीकार योग्य है। तनकी नम्बर 1 पेरोकार सरकार द्वारा पेश तर्क –

अ– गलत तरीके से जमीन खाता सरकार दर्ज हो गयी तो पुनः आवंटन के लिए आना था।
ब– धारा 175, 177 के फैसले की प्रति पेश नहीं की है।
स– वादी को विक्रय पत्र के संदर्भ में सिविल न्यायालय जाना चाहिए।
द– माननीय राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 23.04.2010 गजानन्द बनाम गुलाब वगैरह के अनुसार अपील की जानी थी जो नहीं की गई।

14 उपरोक्त विवेचन/तर्कों को सही मानकर तनकी अपीलान्ट के विरूद्ध निर्णित की गई।

स्पष्टीकरण –

अ– पुनः आवंटन के कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है।
ब– अपीलान्ट/दावाकर्ता ने दिनांक 19.09.2022 को आदेश 7 नियम 1 अ (3) जा.दी. 151 सी. पी.सी. के तहत शून्य दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की हैं। जो वादी के तथ्यों को सत्य प्रमाणित करती है। दावे में यद्यपि उक्त कार्यवाही का तात्विक संबंध नहीं था।
स– कृषि भूमि बाबत विवाद– "सिविल न्यायालय" के क्षेत्राधिकार से बाहर है।
द– मानसिक अस्वस्थता के चलते मूल आवंटी की मृत्यु के पश्चात 2013 से दावा विचाराधीन चला आ रहा है। उक्त स्पष्टीकरण एवं तथ्यों के परिप्रेक्ष में तनकी वादी के पक्ष में निस्तारण योग्य थी।

15 तनकी–2– तनकी सं. 01 के आधार पर ही तनकी का निर्णय विरुद्ध अपीलान्ट/वादी किया गया जो अस्वीकार योग्य है।

16 तनकी–3 तनकी सं. 01 व 02 के आधार पर निर्णय विरुद्ध अपीलान्ट/वादी किया गया जो अस्वीकार योग्य है।

17 तनकी–4 समस्त प्रमाणित तथ्यों, न्यायिक निर्णयों, कानूनी प्रावधानों के विपरीत जाकर निर्णय में वाद खारिज फरमाया गया जो अन्यायपूर्ण होकर निरस्तगी के योग्य है।

18 माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जैर अपील दिनांक 16.01.2023 निरस्त फरमायी जावे और वादी का वाद (संशोधित दिनांक 13.07.2022) स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे एवं वादी को वाद विषयक भूमि का खातेदार घोषित किया जाये एवं वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की निषेधाज्ञा की डिक्री भी पारित फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण वाद विषयक आराजी से वादी को बेदखल ना करे एवं उसके कब्जे काश्त में दखल ना करे एवं ना अन्य से करावे।

19 पुनः निवेदन है कि दौराने वाद न्याय शाखा के पक्ष में लगभग 3 बीघा जमीन आवंटन से सरकारी पक्ष को ध्यान में रखकर आवेदक उक्त जमीन के एवज में उसी के आस पास उपलब्ध अन्य सरकारी जमीन स्वीकार करने को न्यायहित एवं राजहित में तैयार है। अपीलान्ट गोपालपुरा ग्राम की खसरा सं. 13/14/225 सरकारी जमीन को स्वीकार करने को तैयार है। तदनुसार आदेश पर कोई एतराज नहीं है। आवेदन स्वीकार किया जावे।

20 अभिभाषक रेस्पोडेंट राजकीय पक्ष ने मौखिक कथन किया कि अवैध बेचान होने के कारण RTA की धारा 175–177 के अन्तर्गत श्रीमान सहायक जिलाधीश झालावाड द्वारा निर्णय दिनांक 20.08.1976 से भूमि को सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये गये एवं लिखित बहस प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि विचाराधीन अपील अपीलार्थी अमरलाल आत्मज नन्दा, जाति भील अस्वस्थ मस्तिष्क जरिये नरेश पुत्र अमरलाल, जाति भील, निवासी झालावाड़ राज. द्वारा अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बनाराजगी निर्णय डिक्री दिनांक 16.01.2023, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड मिसल नं0 433/दावा/13 उनवान अमरलाल वनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

21 अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में यह दावा किया है कि ग्राम गोपालपुरा, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड के गत खसरा नम्बर 90 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 167 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 168 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 175 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 188 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा वादी के पिता नन्दा आत्मज बाला की गैरखातेदारी में दर्ज रही थी, किन्तु उक्त आराजी को धारा 175–177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत गलत रूप से सिवायचक कर दी गयी, आराजी सिवायचक दर्ज करने के बाद भी वादी के पिता नन्दा आत्मज बाला को बेदखल नहीं किया गया है एवं नन्दा आत्मज बाला अपने जीवनकाल में निरन्तर काश्त करते चले आ रहे हैं और उनकी मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र वादी काविज काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि वादी के खाते की भूमि है जो गलत रूप से सिवायचक दर्ज की गई है। वादी वादग्रस्त भूमि पर निरन्तर काविज काश्त चला आ रहा है जिसके कारण उक्त भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाये।

22 वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 167 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 168 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 175 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा किता 3 क्षेत्रफल 5.06 बीघा ग्राम गोपालपुरा, तहसील झालरापाटन को अवैध बेचान होने के कारण RTA की धारा 175–177 के अन्तर्गत श्रीमान सहायक जिलाधीश झालावाड द्वारा निर्णय दिनांक 20.08.1976 से भूमि को सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये गये।

23 उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 03.10.1977 दर्ज कर भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया गया।

24 अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार झालरापाटन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में खसरा नम्बर 167 रकबा 0.7587 हेक्टर भूमि न्याय विभाग (राजकीय आवास) निर्माण हेतु आवंटन हो गई है एवं खसरा नम्बर 501/168 रकबा 0.0885 किस्म बारानी दोयम खसरा नम्बर 502/168 रकबा 0.0379 किस्म गै0 मु0 रास्ता एवं खसरा नम्बर 175 रकबा 0.4552 भूमि खाता सरकार दर्ज है।

25 विशेष कथन–वादग्रस्त खसरा नम्बर 167 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 168 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 175 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 186 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा अपीलार्थी के पिता के गैर खातेदारी में दर्ज थी, उक्त गैर खातेदार अनुसचित जनजाति वर्ग का है। अनुसूचित जनजाति वर्ग का गैर खातेदार होने के बावजूद उक्त व्यक्ति द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को भूमि का बेचान कर RTA कि धारा (42–बी) का उल्लंघन किया है।

26 मेरी राय में प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य है।

27 बहस अभिभाषक अपीलांट सुनी गई, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस व पत्रावली का अवलोकन व मनन किया गया। वादी अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिकी दिनांक 16.01.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। वादग्रस्त आराजी वादी अपीलांट के पिता नन्दा आत्मज बाला को आवंटित होने के बाद वादी अपीलांट के पिता की गैरखातेदारी में दर्ज थी, जिसे अवैध बेचान मानकर धारा 175–177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए सहायक जिलाधीश झालावाड़ द्वारा निर्णय दिनांक 20.08.1976 से सिवायचक दर्ज की गई। इस आदेश के विरूद्ध वर्ष 1976 से वर्ष 2013 तक आवंटन को बहाल कराने हेतु किसी प्रकार की विधिक कार्यवाही वादी अपीलांट द्वारा अमल में लाया जाना प्रस्तुत अपील व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से नहीं पाया गया। यदि वादी अपीलांट के पिता नन्दा आत्मज बाला द्वारा विवादित भूमि का बेचान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 बी का उल्लंघन करते हुए केता के पक्ष में नहीं किया गया था और आवंटन की शर्तों के अनुसार स्वयं भूमि पर काबिज काश्त होकर काश्त कर रहे थे तो विधिसम्मत रूप से आवंटन बहाली हेतु कार्यवाही निर्धारित समयवधि में अमल में लाई जानी थी। वादग्रस्त आराजी को सिवायचक दर्ज करने के निर्णय दिनांक 20.08.1976 के लगभग 38 वर्ष पश्चात वर्ष 2013 में वादी अपीलांट द्वारा बाबत वादग्रस्त आराजी घोषणा खातेदारी अधिकार एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड के न्यायालय में पेश किया गया। वादी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16.01.2023 से तनकीवार निर्णय कर वादी अपीलांट का वाद खारिज किया गया।

28 वादी अपीलांट का यह कथन भी स्वीकार योग्य नहीं है कि सरकार द्वारा कभी भी उसे वादग्रस्त आराजी से बेदखल नहीं किया गया। वादग्रस्त आराजी पर वह काबिज काश्त प्रमाणित रहा है। इस क्रम में अपीलांट का कथन है कि तहसीलदार झालरापाटन की रिपोर्ट दिनांक 27.07.2022 में "खातेदारी व कब्जा काश्त" का स्पष्ट उल्लेख है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न तहसीलदार झालरापाटन की रिपोर्ट दिनांक 27.07.2022 के अनुसार ग्राम गोपालपुरा में खसरा नम्बर 167 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 168 रकबा 0.10 बीघा, खसरा नम्बर 175 रकबा 1.16 बीघा, खसरा नम्बर 188 रकबा 1.03 बीघा भूमि नन्दा पुत्र बाला, जाति भील, सा. झालावाड़ के गैर खातेदारी में दर्ज थी। मुताबिक नामान्तरकरण सं. 46 दिनांक 03.10.1977 से खसरा नम्बर 167 रकबा 3 बीघा, खसरा नम्बर 168 रकबा 0.10 बीघा, खसरा नम्बर 175 रकबा 1.16 बीघा भूमि नन्दा पुत्र बाला से धारा 175–177 के तहत खाता सरकार हो गई थी। **ग्राम गोपालपुरा में खसरा नम्बर 188 रकबा 0.2908 भूमि भूरी, सानी पुत्री नन्दा, अमरलाल पुत्र नन्दा, जाति भील, सा. झालावाड़ के खातेदारी एवं कब्जा काश्त में है, अर्थात खसरा नम्बर 188 के अतिरिक्त अन्य वादग्रस्त भूमि पर वादी अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं है।** मुताबिक रिपोर्ट खसरा नम्बर 167 रकबा 0.7587 हेक्टर भूमि न्याय विभाग (राजकीय आवास निर्माण हेतु) आवंटन हो गई है एवं खसरा नम्बर 501/168

रकबा 0.0885 किस्म बारानी सोयम, खसरा नम्बर 502/168 रकबा 0.0379 किस्म गैर मु0 रास्ता एवं खसरा नम्बर 175 0.4552 है0 भूमि खाता सरकार दर्ज है। अतः खसरा नम्बर 188 के अतिरिक्त अन्य आराजी पर वादी अपीलांट का कब्जा काश्त होना साबित नहीं होता है। अपने कब्जे की पुष्टि हेतु वादी अपीलांट द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जब वादग्रस्त आराजी वादी अपीलांट के कब्जे काश्त में ही नहीं है और उसके खाते में भी दर्ज नहीं है तो उसके पक्ष में धारा 188 की सहायता प्रदान नहीं की जा सकती। वादी अपीलांट ने प्रस्तुत अपील में गजानन बनाम राधेश्याम अपील संख्या 80/2010 में माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय का उल्लेख किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय में यह उल्लेख किया है कि वादी वकील द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 23.04.2010 गजानन बनाम गुलाब वगैरह के निर्णय की प्रति पेश की है। इस निर्णय के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया कि यह निर्णय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के द्वारा दिनांक 24.05.2010 व 23.04.2010 को दायर अपील संख्या 107/2010 गजानन्द बनाम राधेश्याम व अपील संख्या 80/2010 मूलचन्द बनाम गजानन्द में दिनांक 10.02.2011 को पारित किया गया है ना कि दिनांक 23.04.2010 को । इस निर्णय के अवलोकन व मनन से भी यही स्पष्ट होता है कि वादी द्वारा अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र से किये गये भूमि के क्रय के आधार पर वादी को धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं मानते हुए यह निर्णय पारित किया गया है कि दावा वादी खारिज करने तक तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है परन्तु बिना 175 व 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही किये आराजी को राजसात नहीं किया जा सकता। प्रकरण में नियमानुसार धारा 175 व 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगे, का अंकन किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में वादी द्वारा अनरजिस्टर्ड क्रय दस्तावेज के आधार पर धारा 183, 188 के तहत वाद प्रस्तुत किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज करते हुए वादग्रस्त आराजी को राजसात करने का निर्णय पारित किया जो विधि सम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किया गया। साथ ही एक्जीविट–1 का उल्लेख करते हुए क्रय दस्तावेज को धारा 42 बी के उल्लंघन में लिखा गया माना है। अतः यह निर्णय वादी अपीलांट की अपील पर चस्पा होना नहीं पाया जाता। विचाराधीन अपील में वादी अपीलांट के पिता नंदा आत्मज बाला द्वारा वादग्रस्त आराजी के सन्दर्भ में किये गये बेचान को अवैध मानते हुए धारा 175 – 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए सिवाय चक दर्ज किया गया है, जो विधि सम्मत है।

29 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.01.2023 यथावत रखा जाता है ।

30 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/10/23

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

अमरलाल आत्मज श्री नन्दा, जाति भील, अस्वस्थ मस्तिष्क जरिये नेक्स्ट फ्रेंड नरेश पुत्र अमरलाल, जाति भील, निवासी झालावाड़

......अपीलांट

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये कलेक्टर, झालावाड़, जिला झालावाड़

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झालरापाटन, जिला झालावाड

... रेस्पोडेंट

अपील नं. **58/2023** व नाराजगी डिकी अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़**

मु.द.नं **433/दावा/13** निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक –**16.01.2023**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **10** माह **10** सन् **2023**

हाजरी **श्री सूर्य प्रकाश जैथलिया** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट **संदीप सक्सैना पैरोकार सरकार**

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 16.01.2023 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **27** माह **10** सन् **2023** को जारी किया गया ।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(राज0)